

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर
तहसील अधिकारी - श्री अशोक कुमार, आर ए एस
संख्या - 28/2022

शीर्षक

धन्ना उर्फ धर्मराज पुत्र बंदी जाति जाट निवासी रामपुरा, तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

वादी

बनाम

जगदीश नारायण पुत्र प्रभातीलाल जाति जाट निवासी रामपुरा, तह0 शाहपुरा जयपुर राज0।
मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा शाहपुरा जिला जयपुर।
राजस्थान सरकार (भू-धारक) जरिये तहसीलदार तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर।
तहसीलदार एवं उपपंजीयक उपपंजीयन शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 15/5/24

अतः दावा डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1546 रकबा 0.27 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.27 है0 वाकै ग्राम रामपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर की भूमि का वादी व प्रतिवादी सं0 01 के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है-

1. धन्ना उर्फ धर्मराज पुत्र बंदी जाति जाट सा0 खातेदार के हिस्से में आराजी ख0 न0 1546/1 रकबा 0.17 है0 भूमि मुताबिक राजीनामा के तरफ उत्तर की ओर रहेगी। रहन का इन्दाज मुताबिक जमाबंदी रहेगा।
 2. जगदीश नारायण पुत्र प्रभातीलाल जाति जाट सा0 खातेदार के हिस्से में आराजी ख0 न0 1546/2 रकबा 0.10 है0 भूमि दक्षिण की तरफ रहेगी।
- वादी व प्रतिवादी को एक दुसरे के बंटवारे में आयी भूमि में दखल अंदाजी, मदाखलत पैदा नही करने हेतु पाबंदी किया जाता है। तहसीलदार शाहपुरा को नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती हेतु लिखा जावे। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज तारीख 15/5/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जयपुर

के खर्चे

	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
त्र के लिए स्टाम्प पत्र के लिए स्टाम्प के लिए स्टाम्प रुपये पर प्लीडर की फीस के लिए निर्वाह - व्यय र की फीस का की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
		जोड़	